**जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 22-08-2020**

## संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

### 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

**थाना महुली पुलिस द्वारा** अभियुक्त नाम पता गंगा मस्ताना पुत्र गणेश शर्मा निवासी कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 261 / 2020 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### वारण्टी

**थाना मेहदावल द्वारा** 01 वारण्टी नाम पता राजेन्द्र पुत्र हरिहर निवासी ठाकुरद्वारा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1493 द्वारा मारपीट में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल** – पीआरवी 1493 को थाना बखिर क्षेत्रान्तर्गत इवेन्ट संख्या 09806 से कालर ने दो पक्षों के मारपीट / विवाद में 02 व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र भेजवाया गया तथा दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

**पीआरवी स्टाफ** – मु0आ0 रामकुशल सिंह, आरक्षी धर्मेन्द्र यादव, हो0चा0 महेन्द्र यादव।

### शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

### मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 94 वाहनो से 86100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 94 वाहनो से 86100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया